**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

**पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰**

**प्रकरण संख्या 5/2017 (उदयपुर डिक्री)**

लच्छीराम पिता भेरा कुम्हार, निवासी मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

**बनाम**

1. मोहन पिता लाला कुम्हार, निवासी मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
2. समिया उर्फ हुक्मीचन्द कुम्हार, निवासी मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
3. गोपीलाल पिता श्री लाल कुम्हार, निवासी मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती सरसी पत्नी श्री लाला कुम्हार, निवासी मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. – 1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा
दिनांक 03.06.2016 प्र.सं. 64/2015

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री मांगीलाल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी अभिभाषक रेस्पो.सं. 1 से 4
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

**निर्णय** **दिनांक 12–03–2020**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मोरवल में वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित कुल किता 27 रकबा 2.1100 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त आराजियात के समटा आराजी

नंबर 3019 एवं 3022 स्थित होकर वादीगण के खातेदारी की होकर उनका मकान बना हुआ है एवं आराजी नंबर 3042 किस्म रास्ता है, जिससे वादीगण अपने मकान में आता–जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण जोर जबरदस्ती कर रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अतः वाद पत्र की कलम संख्या 1 वर्णित आराजी नंबर 3042 रास्ता वादीगण के लिए छोड़कर 1/2 हिस्से का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर अपने निर्णय दिनांक 03–06–2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 16–01–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 4 की ओर से वकील श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03–06–2016 के निर्णय की जानकारी उन्हें दिनांक 21–12–2016 को प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई। जानकारी होती ही अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

उक्त आवेदन पर उभयपक्षों की बहस सुनकर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2016 की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 02–08–2016 तक यह अपील प्रस्तुत हो जानी थी, जबकि अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 16–01–2017 को प्रस्तुत की गयी है, जो करीब 5 माह विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जबकि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03–06–2016 पर स्वयं अपीलान्ट लच्छीराम के हस्ताक्षर हैं, किन्तु प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय

ने अपीलान्ट के काउण्टर क्लेम को नजर अंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट आराजी नंबर 3022 में 1/2 हिस्से का अधिकारी है, जिस पर उसका मकान बना हुआ है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमाई जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 03–06–2016 पर स्वयं अपीलान्ट लच्छीराम के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में निर्णय उसकी उपस्थिति में एवं सुनकर किया गया है उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार किया गया है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि की जाना प्रथम दृष्टया प्रकट नहीं होता है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2016 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। निर्णय आज दिनांक 12–03–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(एम.एल. चौहान)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी**
**एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी**
**उदयपुर**

# डिगरी व सीगे अपील

## (ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

## (Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** .....

**लच्छीराम पिता भेरा कुम्हार, निवासी मोरवल, तह. गोगुन्दा, जिला उदयपुर** बनाम **मोहन पिता लाला कुम्हार, निवासी मोरवल, तहसील गोगुन्दा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**5/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **गोगुन्दा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**03**.....माह.....**06**.....**2016**

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**12**....माह.....**03**.....सन् **2020** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री मांगीलाल पालीवाल**....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री सुरेशचन्द्र त्रिवेदी** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2016 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12**.....माह.....**03**.....**2020** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... .....<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. वकील फीस बाबत .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .....<br>4. मेहनताना वकील.....<br>मीजान ..... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.06.23 12:47:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: